

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेली (छ.ग.)

—: संशोधित कार्य विभाजन आदेश :-

क्रमांक क /एक-15-1/2017

मुंगेली, दिनांक 01 मई 2023

माननीय रजिस्ट्री के पृष्ठांकन क्रमांक 4123/चेकर/III-8-2/2001(Family Court) बिलासपुर दिनांक 04 अप्रैल 2023 संलग्न सहपत्र छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, मंत्रालय छ.ग. की अधिसूचना क्रमांक F.No. 4111/842/XXI-B/C.G./2023, दिनांक 31.03.2023 के तारतम्य में जिला स्थापना मुंगेली में कुटुम्ब न्यायालय दिनांक 01.05.2023 से अस्तित्व में आने के फलस्वरूप पूर्व में प्रसारित कार्यविभाजन आदेश क्रमांक क/एक-15-1/2017 मुंगेली दिनांक 02 जनवरी 2023 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

उपरोक्त आदेश दिनांक 01.05.2023 से तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

- (1) अनुक्रमांक-1 के स्तम्भ क्रमांक-4 के सरल क्रमांक 20 एवं सरल क्रमांक 21 के सम्पूर्ण अंश को विलोपित किया जाता है।
- (2) अनुक्रमांक-1 के स्तम्भ क्रमांक-4 के सरल क्रमांक 28 के अंश " मुंगेली जिला से उत्पन्न होने वाले अन्य प्रकरण जो उपरोक्त में उल्लेखित नहीं है" के पश्चात् (कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम की धारा-7 के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों को छोड़कर) समाविष्ट किया जाता है।

सही/-
(अरविन्द कुमार सिन्हा)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
मुंगेली छ.ग.